<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 6/17/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

******

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक: २२ जून 2026

<u>मामला संख्याः – ए डी (ओआई) (15/2026)</u>
<u>सेतु मामला आईडी सं.-एडी/ओआई/016/2026</u>

<u>जांच शुरूआत की अधिसूचना</u>

-

विषय: चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ) और एमॉर्फस मेटल (एएम)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/17/2026-डी जीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (क्षति के निर्धारण के लिए पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "एडी नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, जे एस डब्ल्यू जेएफई इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने "कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सी आर जी ओ) और एमोर्फस मेटल (ए एम)" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की है। तथापि, डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों और आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र की जांच करने पर, यूरोपीय संघ के मामले में नकारात्मक पाटन मार्जिन देखा गया। अतः, प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू नहीं की है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य और रूस को संबद्ध देश माना है (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा जाएगा)।

3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध

सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ("पी यू सी") (i) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील ("सी आर जी ओ") और (ii) एमॉर्फस मेटल ("एएम") है।

5. सी आर जी ओ एक फ्लैट-रोल्ड मिश्र धातु इस्पात उत्पाद है जिसमें भार के अनुसार कम से कम 0.6 प्रतिशत लेकिन सिलिकॉन (एसआई) के 6 प्रतिशत से अनधिक होता है, चाहे वह कॉइल में हो या शीट के रूप में या लैमिनेशन के रूप में हो। ए एम, सीधे प्रतिस्थापनीय उत्पाद, लौह के साथ पिघले हुए मिश्र धातु के अल्ट्रा-रैपिड क्वेंचिंग द्वारा उत्पादित एक गैर-क्रिस्टलीय संरचना वाला मिश्र धातु है और तदनुसार उत्पाद क्षेत्र में शामिल है।

6. सी आर जी ओ और एएम दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं जिनका प्रयोग विद्युत ट्रांसफार्मर में कोर सामग्री के रूप में किया जाता है। आवेदक ने दावा किया है कि एमॉर्फस मेटल (ए एम) और कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सी आर जी ओ) वास्तविक रूप से समान नहीं हैं, लेकिन तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय और परस्पर परिवर्तनीय हैं।

7. सी आर जी ओ और ए एम सामग्री का मुख्य अंतिम उपयोग बिजली/वितरण ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए है। दोनों सामग्रियों का उपयोग समान उपभोक्ता उद्योगों द्वारा किया जाता है, अर्थात ट्रांसफार्मर निर्माता, उपयोगिताओं, औद्योगिक प्रयोक्ताओं और नवीकरणीय बिजली परियोजनाओं को आपूर्ति करते हैं। अंतिम प्रयोग के परिप्रेक्ष्य से, दोनों सामग्री कार्यात्मक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित को बाहर रखा गया है:

(i) बिजली/वितरण ट्रांसफार्मर के उत्पादन को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली अमोर्फस धातु।

(ii) सब्सट्रेट के रूप में सी आर जी ओ के निर्माण में प्रयोग के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड (एम जी ओ) कोटिंग वाले कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल।

<u>माप की इकाई</u>

9 . विचारधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एम टी) या किलोग्राम (के जी) है।

<u>प्रशुल्क वर्गीकरण</u>

10. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 7225 1100, 7226 1100 और 7226 9930 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, कुछ अन्य एच एस कोड अर्थात 7225 1920, 7225 1990, 7226 1920, 7226 9910, 7226 1990, 7226 99 10, 7226 99 20 और 7226 9990 में भी विचाराधीन उत्पाद का आयात पाया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र

पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने किसी पी सी एन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच की शुरूआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पी सी एन) पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, दें।

ख. समान वस्तु

12. आवेदक सीआरजीओ का उत्पादक है लेकिन अमोर्फस धातु का नहीं है। आवेदक ने दावा किया कि यद्यपि एमॉर्फस मेटल और सी आर जी ओ की अलग-अलग वास्तविक संरचनाएं हैं, वे समान कार्यों को पूरा करते हैं, समान उपभोक्ताओं द्वारा समान अंतिम उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बाजार और विनियामक निकायों द्वारा परस्पर परिवर्तनीय के रूप में माने जाते हैं और कीमत और निष्पादन के संबंध में सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।

13. आवेदक ने दावा किया कि आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध सामान और वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तुओं का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना गया है।

14. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों और समान वस्तुओं का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु मानी गई है।

ग. संबद्ध देश

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य और रूस हैं।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

16. आवेदक ने शुरू में जांच की अवधि 9 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 महीने) और क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से -31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से -31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से -31 मार्च 2025 और जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित की थी। इसके बाद, आवेदक ने जांच की अवधि को 12 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक संशोधित करने का अनुरोध किया है क्योंकि

इससे पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का अधिक सटीक और व्यापक मूल्यांकन किया जा सकेगा। अतः, आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधित अवधि को जांच के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया है और तदनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान जांच (जिसे इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के लिए जांच की अवधि (पीओआई) को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) और क्षति की जांच की अवधि को 1 अप्रैल 2022 से -31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से -31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से -31 मार्च 2025 के रूप में मानने का निर्णय लिया है

ड. घरेलू उद्योग और आधार

17. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र जेएसडब्ल्यू जेएफई इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

18. आवेदक ने अनुरोध किया है कि एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड आवेदक के अलावा विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र अन्य घरेलू उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड रूस से संबद्ध सामानों के निर्यातक से संबद्ध है और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबद्ध है।

19. यह भी अनुरोध किया जाता है कि एन एल एम के ग्रुप रूस ने क्षति की जांच की अवधि के दौरान भारत को पर्याप्त मात्रा में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। एन एल एम के इंडिया सर्विस सेंटर प्रा. लि. एन एल एम के ग्रुप रूस से संबद्ध सामानों का आयातक है। एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध है और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबद्ध है। इसलिए, आवेदक ने अनुरोध किया है कि एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।

20. एक अन्य घरेलू उत्पादक एन एल एम के के विचार मांगे गए हैं, जिसमें उनसे संबद्ध देश से उनके या संबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए आयात के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और क्या वे संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध हैं और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबंद्ध हैं। एन एल एम के इंडिया ने अनुरोध किया है कि रूस में उसकी संबद्ध कंपनियों, नोवोलीपेत्स्क स्टील और विज़ स्टील लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान भारत को काफी निर्यात किया है। एन एल एम के इंडिया ने यह भी अनुरोध किया है कि उसकी भारत में एक संबद्ध इकाई एन एल एम के इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान रूस, नोवोलीपेत्स्क स्टील और विज़ स्टील लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में अपनी संबद्ध कंपनी से संबद्ध सामानों का आयात किया था। प्राधिकारी ने नोट किया है कि नोवोलीपेत्स्क स्टील और विज़ स्टील लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी द्वारा निर्यात/एन एल एम के इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयात जांच की अवधि के दौरान रूस से कुल आयात, कुल भारतीय उत्पादन और एन एल एम के इंडिया द्वारा उत्पादन की तुलना में काफी मात्रा में हैं।

21. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन एल एम के इंडिया रूस में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध है और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबद्ध है। तदनुसार, एन एल एम के

इंडिया पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं है।

22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी *प्रथम दृष्ट्या* मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अभिप्राय से एक पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षा को पूरा करता है।

च. तथाकथित पाटन का आधार

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

23. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध- I के नियम-7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध सामानों के उत्पादन वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए, सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

24. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत की सूचना के संबंध में विश्वसनीय सूचना नहीं मिल सकी। अत:, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है। जांच की शुरूआत करने के उद्देश्य से भी ऐसा ही माना गया है। चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा दावा किए गए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ख. जापान, कोरिया गणराज्य और रूस के लिए सामान्य मूल्य

25. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह जापान, कोरिया गणराज्य और रूस में संबद्ध सामानों की तुलनीय कीमतों पर सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यह सूचना किसी भी सार्वजनिक स्रोत से भी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि संबद्ध सामानों का आयात विभिन्न कोडों के तहत किया जा रहा है, इसलिए संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात किए जाने पर संबद्ध सामानों के प्रतिनिधि मूल्य के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसे देखते हुए, आवेदक ने सामान्य मूल्य के आधार के रूप में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित अतिरिक्त लाभ के साथ, भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जापान, कोरिया गणराज्य और रूस के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। जांच की शुरूआत के उद्देश्य से इसे ही माना गया है।

ग. निर्यात कीमत

26. आवेदक ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से, कारखानागत निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत, बंदरगाह व्यय और सार-संभाल शुल्क के निमित्त समायोजन किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

27. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

28. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप में बढ़ी है। आयात के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का प्रमाण है। संबद्ध आयात का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

29. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाने के लिए, तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए तथाकथित पाटन और मौजूदा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तथा घरेलू उद्योग को क्षति का संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं।

ज. शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाना

30. आवेदक ने निम्नलिखित का दावा करते हुए पाटनरोधी शुल्क पहले से लगाने का अनुरोध किया है:

क. संबद्ध देशों से उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास है।

ख. भारत में आयातक इस तथ्य से अवगत हैं कि निर्यातक भारत में संबद्ध सामानों का पाटन करते हैं। आयातक भी इस तथ्य से अवगत हैं कि इस तरह की परिपाटी से भारतीय उत्पादकों को क्षति होगी।

ग. निर्यातकों ने बड़े पैमाने पर पाटन का सहारा लिया है और जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन काफी रहा है।

घ. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है।

31. आवेदक ने अनंतिम शुल्क लगाने की तारीख से पहले नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए पूर्वव्यापी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

32. प्राधिकारी इस संबंध में अधिसूचना में दी गई समय सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध/टिप्पणियां मांग सकते हैं।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

33. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संतुष्ट होने पर, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

34. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

35. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु मामला सं.- एडी/ओई/016/2026 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

36. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

37. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

38. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध

कराना आवश्यक है।

39. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

40. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी-एडी/ओआई/016/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए।

41. प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

42. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।

43. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 41 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

44. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

45. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

46. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

47. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

48. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

49. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

50. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

51. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

52. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि

सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

53. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

54. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ण. असहयोग

55. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 22-06-2026
19:52:47